

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2019

विषय:- सूर्या होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, हरदोई रोड, सण्डीला जनपद-हरदोई को एफ0एल-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-990/जि0आ0अधि0/बार अनु/2018-19 /हरदोई दिनांक 11.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11, जनवरी 2019 के साथ प्राप्त आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी जिला बार समिति की बैठक दिनांक 07, जनवरी 2019 में जिला बार समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0-जी-186/ दस-लाइसेंस -180/एफ0एल0-6, 7/सूर्या होटल/बार अनु0/हरदोई, दिनांक 29, जनवरी 2019 में की गयी संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त सूर्या होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, हरदोई रोड, सण्डीला जनपद-हरदोई को एफ0एल-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन एतदद्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगुन्तकों को वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हाकन व वैसे पार्किंग की भी व्यवस्था की जायेगी, अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन विभाग की अनापित्त जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी0एफ0एम0डी0(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था होने के उपरान्त ही लाइसेंस निर्गत किया जाए।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-25/2019/255(1) ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र सं०-जी-186/ दस-
लाइसेंस-180/एफ०एल०-6, 7/सूर्या होटल/बार अनु०/हरदोई दिनांक 29, जनवरी 2019 के संदर्भ में
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।